न्यायालय भूमि सुधार उप समहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

आर० एम० वाद संख्या–74/2018–19

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

कृष्ण महतो बनाम काशीनाथ महतो

आदेश की क्रम सं. एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित

विक्रेता का नाम एवं पता– कृष्ण महतो, पिता–स्व० राधा महतो, ग्राम–कुवाडीह, पो०–राहे, प्रखण्ड–राहे, अंचल–राहे, थाना–सोनाहातु,, जिला–राँची।
जाति–कुरमी।
पेशा–खेती–बारी।

क्रेता का नाम एवं पता– काशीनाथ महतो, पिताह–स्व० चमरू महतो, ग्राम–महेशपुर, पो०–राहे, प्रखण्ड–राहे, थाना–सोनाहातु,, जिला–राँची।
जाति–कुरमी।
पेशा–खेती–बारी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम– श्री परमेश्वर महतो।

विक्रेता द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–.21/04/2018. को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत क्रेता काशीनाथ महतो, पिताह–स्व० चमरू महतो, ग्राम–महेशपुर, पो०–राहे, प्रखण्ड–राहे, थाना–सोनाहातु,, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेती–बारी के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री करने की अनुमति माँगी गयी है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
राहे	सोनाहातु/81	29	478	0.09 ए०

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राहे से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम इस्तेहार भी निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, राहे. के पत्रांक–402(ii), दिनांक–04/07/2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

01. प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम–कालीनाथ महतो वगैरह कौम कुरमी है।
02. आवेदक खतियानी रैयत कालीनाथ महतो का पोता है।
03. पंजी।। के अनुसार रैयत का नाम जगन्नाथ महतो, गरमु महतो, लोहरा महतो, बाउरी महतो, विसरू महतो, गणेश महतो, शाम महतो, भादो महतो तथा रैयत के पास कुल जमीन रकवा–4.88 एकड़ है।
04. सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन दोन ।।। किस्म की है।
05. आवेदित भूमि के विक्रेता कृष्णा महतो पिता स्व० राधा मोहन महतो है। आवेदन द्वारा जो वंशावली बनाई गयी है, वह पंजी।। रैयत से नहीं मिलता है। आवेदक, आवेदक के पिता तथा आवेदक के दादा किसी के नाम से जमाबंदी दर्ज नहीं है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी,राहे ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b के तहत विक्रेता कृष्ण महतो, पिता–स्व० राधा महतो, ग्राम–कुवाडीह, पो०–राहे, प्रखण्ड–राहे, अंचल–राहे, थाना–सोनाहातु,, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेती–बारी को क्रेता काशीनाथ महतो, पिता–स्व० चमरू महतो, ग्राम–महेशपुर, पो०–राहे, प्रखण्ड–राहे, थाना–सोनाहातु,, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेती–बारी के हाथों प्रस्तावित भूमि बिक्री हेतु अस्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक–15/05/2018 को निर्गत आम ईस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, राहे. के अनुशंसा के आलोक बिक्री हेतु अनुमति वाद को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

30/07/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बुण्डू राँची।

30/07/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बुण्डू राँची।